न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः— 80 / 2025

प्रार्थीगणः—

1. कल्याणसिंह पुत्र स्व. तेजसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडी (अम्बों का बाड़ा) तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. भंवरकंवर पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडी (अम्बों का बाड़ा) तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. गीगाराम पुत्र बुधाराम
2. तिलोकाराम पुत्र बुधाराम
3. मगाराम पुत्र बुधाराम

   सभी जाति भील निवासी कोटडी कोटडी (अम्बों का बाड़ा) तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

श्री नरपतसिंह भाटी वकील प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 07.07.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोटडी (अम्बो का बाडा) तहसील समदडी में खसरा संख्या 335 / 135 रकबा 09.08 बीघा अवस्थित है। उक्त खसरा मे से विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम रकबा 01.03 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गई । उक्त सम्परिवर्तित भूमि से विप्रार्थी संख्या 1 से 3 से रकबा 01.00 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 2 व रकबा 0.03 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा खरीद की गई।उक्त खरीद भूमि का रकबा अभी तक मूल खसरा संख्या से कम नहीं किया गया है तथा न ही नक्शे में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खरीदसुदा संपरिवर्तित भूमि का रकबा खसरा संख्या 335 / 135 रकबा 09.08 बीघा में से कम करते हुए माफिक खरीद नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण ने वास्तविक कब्जानुसार त[illegible] दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस वि[illegible]ण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:08:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट तलबी की। तहसीलदार समदडी ने जरिये पत्र क्रमांक–भू.अ./2025/1050 दिनांक 20.06.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 335/135 रकबा 09.08 बीघा भूमि मे से विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा रकबा 09.08 बीघा में से रकबा 01.03 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाई गई । विप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त संपरिवर्तित भूमि से से रकबा 01.00 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 2 व रकबा 0.03 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान की गई, जिसके नये खसरा संख्या 688/135 व 683/135 बने। तहसीलदार समदडी ने मौका रिपोर्ट में आगे अंकन किया है कि माननीय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा प्रकरण संख्या 82/2023 में दिये गये निर्णय की पालना में कब्जा अनुसार खसरा संख्या 335/135 व 339/135 की तरमीम की गई मगर खसरा संख्या 339/135 के खातेदारों द्वारा बेचान की गई भूमि पूर्व की स्थिति में दर्ज रही जो असंगत है जिसे मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

लिहाजा तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडी (अम्बो का बाडा) तहसील समदडी की खसरा संख्या 688/135 व 683/135 की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार समदडी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित पत्रांक भू.अ./2025/1050 दिनांक 20.06.2025 के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:08:41 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट "अ" प्रस्तावित
मौजा - अम्बों का बाड़ा
ख.नं. 683/135, व 688/135

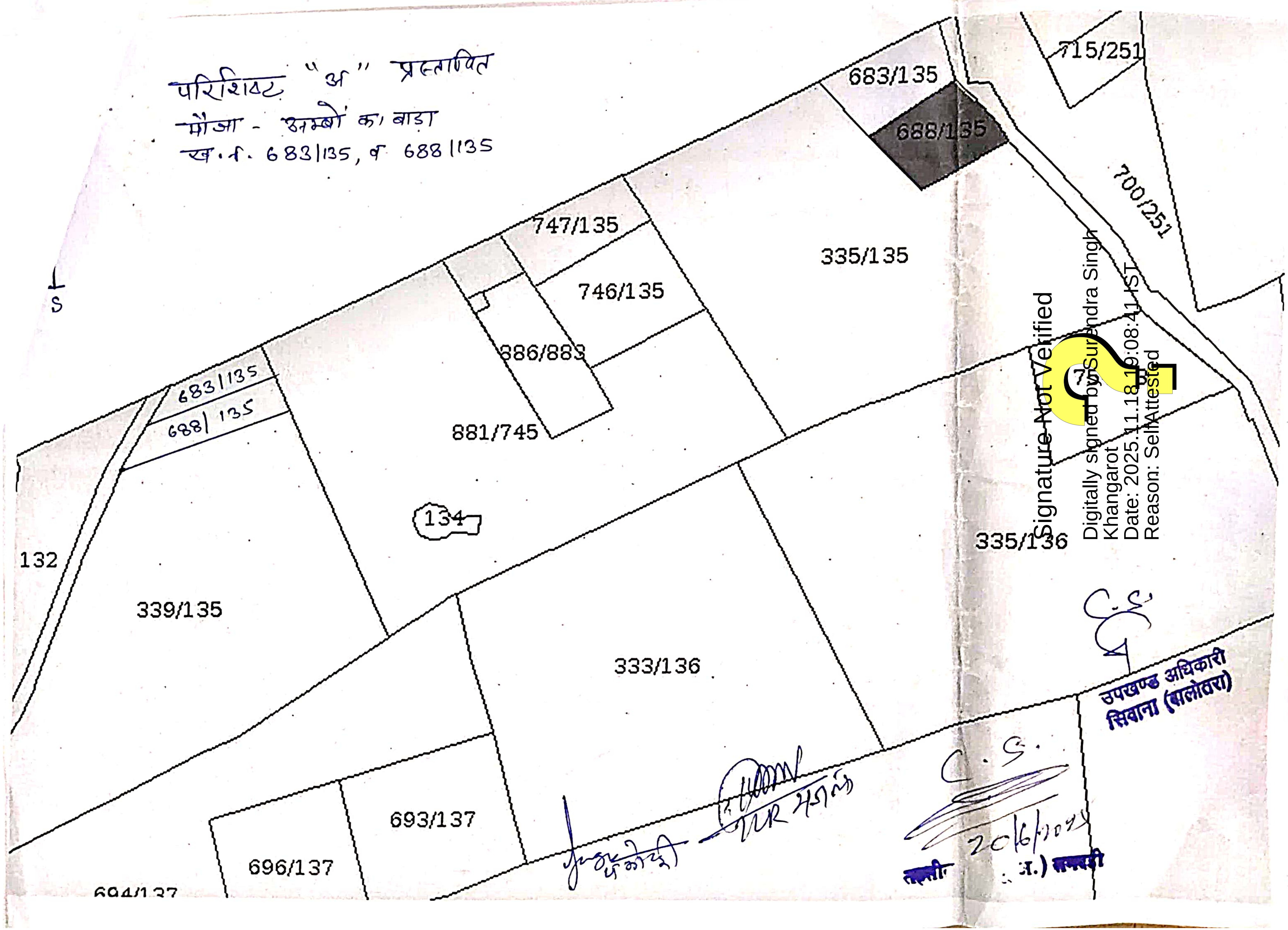

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:08:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)